

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/19/ 202

दिनांक 28/8/19

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंघा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- खीमपुरा

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि					नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
		तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00239	3430 17.07.2019	खीमपुरा	1331	37-11-00	बारानी 3	1331/2	00-09-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00239	3430 17.07.2019	खीमपुरा	1335	04-07-00	पहाड़	1335/2	00-10-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00239	3430 17.07.2019	खीमपुरा	1436	15-00-00	पहाड़	1436/2	00-06-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00239	3430 17.07.2019	खीमपुरा	1435	00-01-00	पहाड़	1435/2	00-00-10	गै.मु. रास्ता
5	2019/00239	3430 17.07.2019	खीमपुरा	1379/1	96-19-00	पहाड़	1379/5	00-07-10	गै.मु. रास्ता
6	2019/00238	3429 17.07.2019	खीमपुरा	731	81-00-00	बरड़ा	731/2	00-19-00	गै.मु. रास्ता
7	2019/00237	3428 17.07.2019	खीमपुरा	352/1	05-08-10	पहाड़	352/3	00-03-00	गै.मु. रास्ता
8	2019/00235	3426 17.07.2019	खीमपुरा	1437	11-05-10	बा.3	1437/2	00-10-00	गै.मु. रास्ता
9	2019/00235	3426 17.07.2019	खीमपुरा	1613	123-16-00	पहाड़	1613/2	00-12-00	गै.मु. रास्ता
10	2019/00232	3423 17.07.2019	खीमपुरा	1250	05-07-10	रास्ता	1250/2	00-04-00	गै.मु. रास्ता
11	2019/00232	3423 17.07.2019	खीमपुरा	1379/1	96-19-00	पहाड़	1379/3	00-05-00	गै.मु. रास्ता
12	2019/00233	3424 17.07.2019	खीमपुरा	1379/1	96-19-00	पहाड़	1379/4	00-07-10	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

